HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2409/2023

Smt. Richa Agarwal D/o Late Shri Suresh Chand Gupta, And W/o Shri Avichal Agarwal,

----Appellant

Versus

Rajan Solanki S/o Shri Charan Singh,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Ankit Kumar Sharma, Adv. for Mr. Gaurav Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/02/2026

दिनांक 06.09.2023 को प्रत्यर्थी क्रम–1 का नोटिस जारी किये जाने तथा इस दौरान दिनांक 26.07.2023 का अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती स्थगित रखे जाने का अंतरिम आदेश दिया गया था। यह भी आदेश दिया गया था कि प्रत्यर्थी पर नोटिस तामील होने के बाद यह अंतरिम आदेश प्रभावी होगा।

प्रत्यर्थी क्रम–2 से 5 प्रोफार्मा प्रत्यर्थी हैं, उनके नोटिस जारी किये जाने का आदेश नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी क्रम–1 के नोटिस पर सतत रूप से यह रिपोर्ट आई है कि मकान बंद मिला तथा प्रत्यर्थी क्रम–1 का उपरोक्त मकान में निवास नहीं करना पाया गया है। वर्तमान समय में पी.एफ., नोटिस आदि पेश नहीं होने पर प्रत्यर्थी क्रम–1 के नोटिस जारी नहीं हुए हैं। स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी क्रम–1 पर नोटिस तामील कराने में अपीलार्थी द्वारा कोई प्रभावी रूचि नहीं ली गई है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 06.09.2023 को पारित अंतरिम आदेश समाप्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी क्रम–1 पर नोटिस तामील होने के बाद अंतरिम/अंतिम आदेश पर सुना जायेगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा पी.एफ., नोटिस, डाक शुल्क आदि सात दिवस में पेश किये जाने पर प्रत्यर्थी/विपक्षी क्रम–1 से 5 को सामान्य प्रक्रिया के साथ–साथ स्पीड पोस्ट से अपील व स्थगन आवेदन के नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /37